(274)

संख्याः 2510 /I(2)/2011-04(1)/07/09

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में पूंजीगत व्यय (व्यासी, लखवाड़ एवं किशाऊ जल विद्युत परियोजनाओं) हेतु धन की मॉग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूजेवीएनएल के पत्र संख्या 586, दिनांक 20.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 541/I(2)/2010-04(1)/07/2009, दिनांक 15.03.2010 के अनुक्रम में जल विद्युत परियोजना व्यासी के निर्माण हेतु ₹ 354.00 लाख, जल विद्युत परियोजना लखवाड़ के निर्माण हेतु ₹ 12.00 लाख एवं जल विद्युत परियोजना किशाऊ के निर्माण हेतु ₹ 1.00 लाख अर्थात् कुल ₹ 367.00 लाख (₹ तीन करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि राज्य सरकार की अंशपूंजी के रूप में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– यूजेवीएनएल द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के निदेशक, वित्त द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

4– निर्माण की समय सारिणी और धनराशि की आवश्यकता की समय सारिणी बना ली जायेगी एवं निर्माण समयबद्ध रुप से सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2012 तक तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न कर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– भविष्य में परियोजनाओं का वित्त पोषण वित्त पोषित संस्थाओं से कराये जाने के पश्चात् ही अंशपूंजी की धनराशि स्वीकृत की जायेगी, साथ ही निगम इस सदृश लेखों का मिलान महालेखाकार से करा लेगें और उनसे प्रमाण पत्र लेकर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

.....2

7- स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/मदवार विवरण शासन को दिं0 31.3.2012 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त आवंटित धनराशि में से जिस धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2012 तक होना सम्भव न हो, तो उस धनराशि के समर्पण का प्रस्ताव दिनांक 30.03.2012 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-जल विद्युत उत्पादन-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश-00-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 766/XXVII(2)/2011, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

संख्याः 2510 /I(2)/2011-04(1)/07/09, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव-मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- प्रभारी, ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव